



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042021-226718
CG-DL-W-22042021-226718

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 11 - अप्रैल 17, 2021, शनिवार/ चैत्र 21 - चैत्र 27, 1943
No. 15] NEW DELHI, APRIL 11 - APRIL 17, 2021, SATURDAY/ CHAITRA 21 - CHAITRA 27, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

xg e=ky ;

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

1 k-dk-fu- 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कैन्टीन स्टॉफ भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध लिपिक/सेल्समैन के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1- 1 f{klr uke vkj ikjHk.—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

2. ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2- ink dh l[;k] oxhjdj.k vkj oru efVDI e Lrj.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3- Hkrh dh i)fr] vkj; & lhek vkj vgrk, vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4- fujgrk.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल dju dh 'kfDr.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6- 0;kofRr.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vu l ph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिक	02* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर —2(रु. 19900—63200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी) fVli.k—रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	vk'o'; d ¶ — a) मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। b) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति या हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट में प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी डिप्रेशन्स की औसत पर 10500 केडीपीएच या 9000 केडीपीएच के अनुरूप होनी चाहिए।) fVli.k&1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के

						विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। fVli.k&2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	Hkrh dh i)fr : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं	सीधी भर्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती के लिए	ikUufr & वेतन मैट्रिक्स स्तर -1 (रु. 18000-56900/-) में न्यूनतम 3वर्षीय नियमित सेवा वाले विभागीय कैंटीन परिचालक। fVli.k 1 - इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य संस्थान से लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु कैंटीन परिचरों के लिए संगठनात्मक आचरण, संचार निपुणता और लेखा प्रक्रियाओं में एक दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा। fVli.k 2 - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवी पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली

		हैं अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो ।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसका संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
leg & x foHkkxh; ikuufr lfevr ikUufr ij fopkj gr fuEufyf[kr l fey dj cuu okyh & 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, (ग्रेड-II या ग्रेड-III) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/50/2018-पीटी]

डी.के.घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Canteen Staff Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Clerk/Salesman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Clerk in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Clerk	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900- 63,200/-)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case the post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age-limit shall be last date for receipt of applications from the candidates	Essential: (a) 12th class pass with Commerce from recognised Board; (b) typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word). Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Schedules Castes or Schedule Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidate belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No.	Two years for direct recruits	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental Canteen Attendants at least three years regular service in level- 1 in pay matrix (Rs. 18,000	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel	Not applicable.

– 56,900). Note : A two weeks training on organisational behaviour, communication skill and accounting practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognised by the Government of India or the State Government. Note : where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	National Police Academy, Hyderabad – Chairman; (2) Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member; (3) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member. Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Chairman; (2) Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member; (3) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member.	
---	--	--

[F.No. 23011/50/2018-PT]

D K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

Lkk-dk-fu- 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग, (इलेक्ट्रीशियन, बढई और मल्टीग्राफ आपरेटर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 को, जहाँ तक उसका संबंध इलेक्ट्रीशियन पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. If{klr uke vkj ikjEHk%

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग (इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. lknk dh l[;k] oxldj.k] oru efVDI e: Lrj.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. Hkrhi dh i)frj vkj; & lhek vkj vgrk, vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. fujgrk.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल dju: dh 'kfDr.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **0;kofRr.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vu|ph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इलेक्ट्रीशियन	1* (2021) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (रु. 19900 - 63200).	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय कर्मियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) fvi.k 1- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एवं स्पिति जिला और हिमाचल प्रदेश के पांगी अनुमंडल, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) fvi.k 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की स्थिती में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	हक्रि धि i)fr॥ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
'kf.kf.kd vgrk,i vko'; d : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष, और (ख) जिनके पास— (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन ट्रेड में उर्तीणता प्रमाण पत्र हो (ii) उच्च और निम्न प्रकार के बिजली के संयंत्रों के साथ भूमिगत केबल बिछाने, रख रखाव, अधिस्थापन और क्रियान्वयन का व्यावहारिक	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

अनुभव हो (iii) किसी केन्द्रीय या राज्य लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक योग्यता प्रमाण पत्र मिला हो । okNuh; किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डिप्लोमा प्रमाणपत्र।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं है।	leg& ^x^ foHkkxh; if^Vdj.k lfebr %if^Vdj.k ij fopkj gr% ft le fuEufyf[kr gkx& 1. संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी — अध्यक्ष 2. उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी —सदस्य 3. सहायक निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी —सदस्य	लागू नहीं है।

[फा.सं. 23011 / 107 / 2020—पी टी]

डी के घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 49.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani, (Electrician, Carpenter and Multigraph Operator) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the post of Electrician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrician in the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong (Electrician) Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Electrician	1* (2021) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non – Gazetted, Non- Ministerial	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 25 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing dated for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Education qualification: Essential: (a) Matriculation or equivalent from recognised Board or equivalent; and (b) possessing – (i) certificate in Electrical or Wireman trade from a Government recognised institute; (ii) practical experience in execution and running and maintenance of different types of both high tension and low-tension electrical installation including underground cables; (iii) certificate of competency as Electrical Supervisor from a Central or State Licensing Board. Desirable: Diploma in Electrical trade from a recognised institute.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairman; (ii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member; (iii) Assistant Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member.	Not applicable.

[F.No. 23011/107/2020-PT]

D K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

Lkk-dk-fu- 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग, (जीवन रक्षक, प्लम्बर और पम्प प्रचालक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 को, जहाँ तक उसका संबंध पम्प प्रचालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग में पम्प प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1 If{klr uke vkj ikjEHk.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग (पम्प प्रचालक) भर्ती नियम 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2 lknk dh l;[;k] oxhjdj.k] oru efVDI e Lrj.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन में मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3 Hkrh dh i)fr] vkj; & lhek vkj vgrk, vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4 fujgrk.—वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- 5 शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 0;koRr.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vulph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में वेतन का स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पम्प प्रचालक	1* (2021) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु. 19900 – 63200).	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) fVli.k 1- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एवं स्पिति जिला और हिमाचल प्रदेश के पांगी अनुमंडल, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) fVli.k 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	Hkrh dh i)fr भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
'k{kf.kd vgrk,; vko'; d : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष, और (ख) जिसके पास— (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी अथवा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में उर्तीणता प्रमाण पत्र प्राप्त हो, (ii) किसी सरकारी या वाणिज्यिक संगठन में पम्प प्रचालक के तौर पर दो वर्ष कार्य करने	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

का व्यावहारिक अनुभव हो okNuh; किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी अथवा इलेक्ट्रीक ट्रेड में डिप्लोमा प्रमाणपत्र।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं है	leg ^x^ foHkkxh; if^Vdj.k lfeFr %if^Vdj.k ij fopkj gr% ft le: fuEufyf[kr gkx& 1. अपर निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग— अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग—सदस्य 3. उपनिदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग—सदस्य	लागू नहीं है।

[फा.सं. 23011 / 108 / 2020—पी टी]

डी के घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani (Life Guard, Plumber and Pump Operator), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Pump Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pump Operator in the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong, Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong (Pump Operator, Group 'C' post) Recruitment Rules, 2021.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pump Operator	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level 2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing dated for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names of the candidates.	Essential: (a) Matriculation or equivalent from recognised Board or equivalent; and (b) possessing- (i) Certificate in the mechanical trade or the electrical trade from a Government recognised institute; (ii) two years' practical experience in pump operating job in a Government or Commercial Organisations. Desirable: Diploma certificate in the mechanical trade or the electrical trade from a Government recognised institute.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairman; (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairman; (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member.	Not applicable.

[F.No. 23011/108/2020-PT]

D K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

Lkk-dk-fu- 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग, (जीवन रक्षक, प्लम्बर और पम्प प्रचालक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 को, जहां तक कि उनका संबंध प्लम्बर पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग में प्लम्बर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1- If{klr uke vkj ikjEHK

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग (प्लम्बर) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2- lkn&l[;k] oxhdj.k vkj oru efVDI e: Lrj.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3- Hkrh dh i)fr] vkj; &lhek] vgrk, vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4- fujgrk.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह का संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5- शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6- 0;koRr.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vuliph

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन — मैट्रिक्स में वेतन का स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लम्बर	1* (2021) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु. 19900 — 63200)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) fVii.k 1- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) fVii.k 2 :रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	Hkrh dh i)fr॥ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
'k{kf.kd vgrk,; vko'; d ॥ (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ख) जिसके पास— (i) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र (ii) किसी सरकारी या वाणिज्यिक संगठन में प्लम्बर के कार्य में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

okNuh; किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में डिप्लोमा प्रमाण पत्र ।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	leg&^x^ foHkkxh; ifVdj.k lfeFr %ifVdj.k d l c/k e fopkj dju d fy; ft le fuEufyf[kr gkx& 1. अतिरिक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग— अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग—सदस्य 3. उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग—सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. 23011 / 109 / 2020—पी टी]

डी के घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani (Life Guard, Plumber and Pump Operator) Group ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Plumber, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plumber in the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong (Plumber) Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Plumber	1* (2021) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non – Gazetted, Non- Ministerial	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 25 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing dated for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: (a) Matriculation or equivalent from recognised Board or equivalent; and (b) possessing,- (i) certificate in plumber trade from a Government recognised institute; (ii) two years' practical experience in plumbing job in a Government or Commercial Organisations. Desirable: - Diploma certificate in the plumber trade from a recognised institute.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairman; (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member; (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member.	Not applicable.

[F.No. 23011/109/2020-PT]

D K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

Lkk-dk-fu- 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, (जीवन रक्षक, प्लम्बर और पम्प प्रचालक) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2017 जहां तक जीवन रक्षक पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग में जीवन रक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1 If{klr uke vkj ikjEHk

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग (जीवन रक्षक) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 in&l[;k] oxhdj.k] oru efVDI e Lrj.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3 Hkrhi dh i)fr] vk; & lhek] vgirk, vkfn.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4 fujgrk.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

- 6 0;kofRr.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vulph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में वेतन का स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जीवन रक्षक	2* (2021) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रू. 19900 – 63200)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) fVli.k 1- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) fVli.k 2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	Hkrti dh i)fr भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
vko'; d § (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ख) जो रखते हों – (i) मान्यता प्राप्त क्रीडा संस्थान से तैराकी में प्रमाण पत्र; और (ii) सरकारी या वाणिज्यिक संगठन में तैराकी कार्य या जीवन रक्षक के रूप में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो okNuh; मान्यता प्राप्त क्रीडा संस्थान से तैराकी में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती 2 वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं है।	leg & ^x^ foHkxh; ifVdj.k lfevr %ifVdj.k d l c/k e fopkj dju d fy, % fuEufyf[kr l feydj cuxh & 1. अपर निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग — अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग —सदस्य 3. उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग —सदस्य	लागू नहीं है।

[फा.सं. 23011/110/2020—पी टी]

डी के घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani (Life Guard, Plumber and Pump Operator) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017, in so far they relate to the post of Life Guard, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Life Guard in the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong (Life Guard) Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Life Guard	2* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200 /-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 25 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing dated for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: (a) Matriculation or equivalent from recognised Board or equivalent; and (b) possessing,- (i) certificate in Swimming from a recognized institute of sports; and (ii) two years practical experience as Life guard or Swimming Job in a Government or Commercial organisation. Desirable Diploma in Swimming from a recognised institute of sports.	Not applicable	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Chairman; (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member; (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member.	Not applicable

[F.No. 23011/110/2020-PT]

D K GHOSH, Under Secy.